राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 8 अगस्त, 1990 को प्रातः 11.30 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. एस. एन. सक्सेना ------ अध्यक्ष
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री हनुमान प्रसाद
4. श्री सी. एस. राजन
5. डा. आचार्य हरेश सी. सांवरिया
6. श्री एम. एल. शर्मा (शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि)
7. डा. जी. एस. शेखावत
8. डा. ओ. एस. राठौड
9. डा. पी. आर. जटकर
10. डा. के. के. जैन
11. डा. बी. एल. बसेर
12. श्री युसूफ अली
13. श्री राम गोपाल चौधरी
14. श्री टी. पन्त
15. श्री सुनील धारीवाल (सदस्य सचिव)

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. डा. जे. एस. भाटिया
3. डा. के. बी. शर्मा
4. श्री गोपाल शर्मा

डा. पाण्डे बी. बी. लाल ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की तथा डा. टी. पी. ओझा बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहे ।

कार्यसूचि पर विचार विमर्श के पूर्व कुलपति ने नये सदस्यों के रूप में बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर उनका स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय की प्रगति में उनका सक्रिय योगदान मिलता रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/223 गत बैठक दिनांक 27 मार्च, 1990 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/224 दिनांक 27 मार्च, 1990 की बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बैठक की क्रियान्विति को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/225 गत बैठक 27 मार्च, 1990 के पश्चात् कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय :-

आदेश संख्या एफ. 155/स्था/90/880-88 दि. 26/27. 6. 90 के द्वारा श्री रणजीत सिंह, विधाधिकारी (सेवा निवृत आर. ए. सीएस.) की सेवा अवधि 30. 9. 90 तक बढ़ायी गई है, पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया ।

सदस्यों का मत रहा कि 30. 9. 90 के पश्चात् इनकी सेवा अवधि नहीं बढ़ायी जाय तथा शेष रहे कार्य को अनुबंध के आधार पर कराया जाय । श्री रणजीत सिंह द्वारा अब तक किये गये कार्यों की उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/226 महामहिम कुलाधिपति द्वारा पूर्व कुलपति डा. के. एन. नाग के कार्यकाल की जांच हेतु एकल सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति के गठन के आदेश क्रमांक एफ(27)/2/आरबी/87 दिनांक 25. 6. 90 तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(1)(कार्मिक(क-4)/90 दिनांक 16. 5. 90 व प. 5(1)(कार्मिक(क-1)/90 दिनांक 30. 6. 90 द्वारा कुल सचिव के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त हुए ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/227 दिनांक 2 फरवरी, 1990 व मार्च 21-22, 1990 को आयोजित की गई अधिष्ठाता परिषद् की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् सदस्यों का मत रहा कि अधिष्ठाता परिषद् के कार्यवृत तथा महत्वपूर्ण निर्णयों को अलग से दर्शाते हुए बैठक की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाय । कृषि उत्पादन सचिव ने सुझाव दिया कि कार्यवृत को स्पष्ट इंगित करते हुए तैयार किया जाना चाहिए जिसमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :-

1. वह बिन्दु जिन पर प्रबन्ध मण्डल का निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं ।
2. वह बिन्दु जिन पर केवल पुष्टि की जानी हैं ।
3. वह बिन्दु जिन पर कोई निर्णय अथवा पुष्टि नहीं की जाकर केवल मण्डल को सूचित किया गया हैं ।

उक्त सुझाव पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की ।

.......3.

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता परिषद् की बैठक के कार्यवृत को उक्त सुझावों के अनुरूप तैयार कर मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/228

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय(पूर्व बाल मंदिर) के कर्मचारियों से मकान किराया वसूल किये जाने हेतु अधिष्ठाता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विचार विमर्श के पश्चात् यह मत प्रकट किया गया कि केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों से उतना ही मकान किराया वसूल किया जाय जितना कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास में रहने पर जमा कराया जाता है ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/229

दिनांक 20 अप्रेल, 1990 व दिनांक 2 जुलाई, 1990 को आयोजित स्थापना समिति की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि स्थापना समिति की बैठकों में लिए गये निर्णयों को निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया जाय ।

> कनिष्ठ लिपिकों के चयन प्रक्रिया हेतु सदस्यों का मत रहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से जो जोब टैस्ट लिया गया है उसके परीक्षण का आधार वही माना जाय जो पूर्व में कनिष्ठ लिपिकों के विज्ञापित पदों पर चयन हेतु टाईप टैस्ट का रखा गया था । पुनः विज्ञापित कनिष्ठ लिपिकों के पदों हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग के समानान्तर रखा जाय दिनांक 1. 8. 90 को जिन केज्यअल कनिष्ठ लिपिकों ने 180 दिन से अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली है उनको नियमित नियुक्ति के लिए किये जाने वाली परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाय । सदस्यों का यह मत भी रहा कि 1. 8. 90 को जिन केज्युअल कनिष्ठ लिपिकों की सेवा अवधि 180 दिन या उससे कम हैं, उन्हें तरन्त प्रभाव से हटा दिया जाय तथा उन्हें भी नियमित नियुक्ति के लिये होने वाली परीक्षा में बैठने दिया जाय भले ही उन्होंने निर्धारित तिथि में प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया हों ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/230

वित्त समिति की बैठक दिनांक 24. 3. 90 व 28. 3. 90 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत के मुख्य बिन्दुओं पर जो प्रकाश डाला गया है वह अपूर्ण एवं भ्रामक हैं, क्योंकि वित्त समिति कोई निर्णायक समिति नहीं है, अतः इसमें लिये गये निर्णय सिफारिश की तौर पर ही आने चाहिये ।

सदस्यों का यह भी मत रहा कि कार्यवृत को पुनः मद संख्या प्रबो-17/90-3/227 में वर्णित सुझावों के अनुसार प्रस्तुत किया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों को प्रश्न पत्र बनाने हेतु देय मानदण्ड निम्नानुसार पुनरीक्षित दर से प्रदान किये जाय ।

निम्नलिखित के पूर्ण प्रश्न पत्र बनाने के लिए :-
अ) बी. एस. सी (एग्री)/बी. एससी (गृवि/बी. एससी. (दुग्ध विज्ञान) बी. वी. एससी एण्ड ए. एच/ बी. ई. (एग्री) -------------- रू. 100/-

ब) प्रत्येक खण्ड अथवा आधा प्रश्न पत्र बनाने हेतु रू. 50/-

राकृवि/प्रबो-17/90-3/231

डा. किर्ति सिंह, कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र जिसमें उन्होंने निदेशकों की संगोष्ठी में यह तय किये जाने का हवाला दिया है कि भारतीय कृषि ∠ अनुसंधान परिषद् के सभी केन्द्र व संस्थानों में कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और अधिकारियों से अतिथि गृह की वही दर वसूल करेंगे जो स्वंय के कर्मचारियों से वसूल किया करते हैं । उसी प्रकार कृषि विश्वविद्यालयों के अतिथि गृहों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों व अधिकारियों से भी कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के समकक्ष दर वसूल किये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/232

अध्यापकों को उपार्जित अवकाश में से नकद भुगतान हेतु समर्पित अवकाश तथा आधे दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि अध्यापकों को प्रति वर्ष उपार्जित अवकाश का लाभ निम्न प्रकार से देय होगा

1. कुल उपार्जित अवकाश - 15 दिन का
2. नकद भुगतान हेतु मान्य - 8 दिन का
3. उपार्जित अवकाश जो उपभोग न करने की स्थिति में स्वतः समाप्त माना जायेगा - 7 दिन का ।
4. समर्पित अवकाश नकद भुगतान हेतु दो वर्ष में एक बार अधिकतम 30 दिन का । (एक माह)
   सेवा निवृति पर अधिकतम 180 दिन का उपार्जित अवकाश नकद भुगतान हेतु मान्य ।

अध्यापकों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत न किये जाने का निर्णय लिया गया ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/233

एक्स केडर प्रमोशन के अंतर्गत आचार्यों को 4500-5700 के स्थान पर 4500-7300 व सह आचार्यों को 3000-5000 के स्थान पर 3700-5700 के वेतनमान में फिक्स करने व प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया ।

विचार विमर्श के दौरान विशेषाधिकारी (शिक्षा) ने मण्डल को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.12.88 (डा. आर. आर. गुप्ता व अन्य/विरूद्ध (वर्सेज) राज्य सरकार) के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में पेश की हुई हैं । अतः उस पर निर्णय होने तक उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित रखी जाय ।

यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से स्थिति का पता किया जाय । यदि उनके द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति की जा चुकी हो तो अंडर टेकिंग लेकर इस विश्वविद्यालय में भी लागू की जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/234

अध्यापकों द्वारा अध्यापक संघ, कृषि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ(एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन) को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त संघ को मान्यता प्रदान की जाय जिसका मुख्यालय दुर्गापुरा-जयपुर होगा ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/235

श्री ए. आर. आचार्य, सेवा निवृत लेखाधिकारी की सेवा अवधि में वृद्धि करने व उनको दिये जाने वाले पारिश्रमिक को बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि सेवा अवधि 30.9.90 के पश्चात् नहीं बढ़ायी जाय व पारिश्रमिक में भी किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाय । इस संबंध में यह भी मत रहा कि रिक्त पड़े स्थानों पर यदि आवश्यकता अनुभव हो तो राज्य सरकार से निवेदन कर कुछ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर ले लिये जाय । जिसके लिए कुल सचिव व वित्त नियंत्रक विशिष्ट शासन सचिव(वित्त) से वार्ता कर प्रस्ताव देंगे ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/236

राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये अधिनियम में कुछ संशोधन विधि विभाग द्वारा पारित किये जाकर राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ-5(12)कृषि/ग्रुप-2ए/89 दि. 6.7.90 द्वारा प्राप्त हुए हैं ।

निर्णय लिया गया कि अधिनियम में किये गये संशोधनों को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/237

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में भवन/प्रयोगशाला आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदान किये गये 1.50 लाख रूपये का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/238

रिसर्च एसोसिएट (कृषि सह अनुसंधानकर्ता) को मकान किराया जो कि उनके स्थिर वेतन 1500/- में से 900/- मूल वेतन मानकर (उसका 60 प्रतिशत) दिया जाता रहा है उन्हें कार्यालय आदेश राकृवि/वित/89/1894-1939 दिनांक 2/3 मई, 1989 में वर्णित दर से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/239

विभिन्न पदों पर चयन समितियों के गठन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि अध्यापकों/अधिकारियों के चयन हेतु राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापकों एवं अधिकारियों के चयन आदि नियम (वैधानिक चयन समितियों का गठन-1974 व संशोधित 1984 के अधिनियमों को) दृष्टिगत रखते हुए स्टेट्यूटस में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाये तथा उन्हें कुलाधिपति के आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/240

सेवारत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त उसके निकटस्थ आश्रित को योग्यता के आधार पर सेवा में रखने के राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ-3(6)(कार्मिक)(क-II)/75 दि. 29.9.75 को दृष्टिगत रखते हुए श्री उदय सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह राणा (भूतपूर्व कृषि पर्यवेक्षक) को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय तथा इन नियमों को विश्वविद्यालय में लागू किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/241

विश्वविद्यालय में कोषागार की कार्य प्रणाली जो पूर्व में चल रही थी और जिसे किन्हीं कारणों से संशोधित कर महाविद्यालयों में अधिष्ठाताओं को कुछ अधिकार हस्तान्तरित किये गये थे को पुन: निरस्त कर कोषागार द्वारा कार्य सम्पादन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/242

कुलपति के निजी सचिव को वेतनमान 2200-4000 प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से इसकी सूचना प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/243 सचिव अध्यापक संघ से प्राप्त पत्र दिनांक 30. 7. 90 पर विचार किया गया । जो कि अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् की सिफारिशें लागू करने के संदर्भ में हैं ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का परीक्षण कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से जानकारी प्राप्त कर मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/244 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 21. 2. 87 की मद संख्या 6 के अनुसार अध्यापकों की वरियता निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।।

अ) निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का परीक्षण कर स्थापना समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाय व स्थापना समिति की सिफारिश के साथ मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।

ब) यह भी निर्णय लिया गया कि स्थापना समिति में एक और सदस्य डा. बी. एल. बसेर को सम्मिलित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/90-3/245 केरीयर एडवांसमेंट स्कीम (स्थापना समिति की बैठक दिनांक 6. 8. 90 की मद संख्या राकृवि/स्थास/90-4/23 (वन अप प्रमोशन) स्थापना समिति की बैठक दिनांक 6. 8. 90 की मद संख्या राकृवि/स्थास/90-4/24) हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत स्कीम (केरियर एडवांसमेंट स्कीम) के नियम 2 के स्पष्टीकरण के (ब) तथा (स) को हटाकर शेष का अनुमोदन किया गया । कृषि उत्पादन सचिव ने सुझाव दिया कि नियम 2 के स्पष्टीकरण के (ब) तथा (स) के बारे में राज्य सरकार को पत्र भेजा जावे जिसका वित्त विभाग व शिक्षा विभाग से परीक्षण करवाकर समुचित दिशा निर्देश दिये जायेंगे । स्थापना समिति के कार्यवृत में भी उपरोक्त संशोधन किया जाय ।

दिनांक 24 व 25 जुलाई, 1989 को प्रसारित आदेश संख्या (एसटीटी/ग्रुप-2/राजाउ/89/11155-70 व 11254-62 द्वारा पदोन्नति के आदेश, प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार अनियमित माने गये हैं । अतः स्थापना समिति की बैठक की सिफारिश के अनुसार उक्त (वन अप प्रमोशन के) आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही की जाये ।

मद संख्या राकृवि/स्थास/90-4/25 पर विस्तृत विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/246	स्टेट्यूट्स में संशोधन हेतु मद संख्या प्रबो-17/ 90-3/239 में, प्रस्ताव को मण्डल के अनुमोदनार्थ रखा गया, पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि मद संख्या 239 में निर्णित किया जा चुका है ।
राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/247	अधिष्ठाता परिषद की बैठक दिनांक 14. 6. 90 में लिये गये निर्णयों के मुख्य बिन्दुओं का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । निर्णय लिया गया कि मण्डल की आगामी बैठक में परिषद द्वारा निर्णित मदों का पूर्ण कार्यवृत मद संख्या 227 के अनुसार किया जाय ।
राकृवि/प्रबो-17/ 90-3/248	अधिष्ठाता राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 4. 8. 90 जो कि स्नातक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ । समयाभाव के कारण अनिर्णित रहा ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(डा. एस. एन. सक्सेना)
अध्यक्ष

(सुनील धारीवाल)
सदस्य सचिव